Result Mitra Daily Magazine

लोकसभा सदस्य का शपथ प्रक्रिया और कार्यकाल

हालिया सन्दर्भ -

- 18 वीं लोकसभा के लिए protem speaker (सामयिक अध्यक्ष) चुना जा चुका है, जो आज से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की शपथ दिलवाएंगे

शपथ का प्रावधान -

- सदन के विधायी काम काज शुरू होने से पूर्व प्रत्येक लोकसभा सांसद को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है।

पहला शपथ -

- नवनियुक्त protem speaker भर्तृहरि माहताब पहले लोकसभा सांसद होंगे, जो राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे

- भर्तृहरि माहताब लगातार 7 वीं बार कटक लोकसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए हैं
- राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 95 (1) के तहत उन्हें protem speaker का दायित्व सौंपा है, जो सदन के पहले बैठक की अध्यक्षता करेगें
- भर्तृहरि माहताब सभी लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाएंगे, जिसका प्रावधान संविधान के अनुसूची - 3 में है।

सांसद का कार्यकाल -

- लोकसभा सांसद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की परिणामों की घोषणा करता है।
- उपरोक्त प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 में वर्णित है।
- चुनाव आयोग ने 6 जून को परिणाम घोषित किए थे और लोकसभा सांसदों का कार्यकाल उसी दिन से प्रारंभ हो गया।
- कार्यकाल शुरू होने का तात्पर्य यह है कि उसी दिन से निर्वाचित सांसद प्रतिनिधियों के रूप में अधिकारों के पात्र हो जाते हैं।
- कार्यकाल शुरू होने का तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर सांसद अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा बदलकर अन्य दल में मिलते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
- इसके अलावा कार्यकाल शुरू होने की सांसदों को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार मिलने प्राप्त हो जाते हैं।

कार्यकाल शुरू होने के बाद राज्य की प्रासंगिकता -

जब कार्यकाल पहले ही शुरू हो जाता है तो शपथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

- दरअसल चुनाव जीतने एवं कार्यकाल शुरू हो जाने मात्र से सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं मिल जाती।
- अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा में बहस करने तथा मतदान करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेकर सदन में अपनी सीट लेनी होती है।
- अनुच्छेद 104 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Result Mitra

अपवाद -

- उपरोक्त नियम का एक अपवाद भी है।
- कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुए 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। इस दौरान उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है अथवा उसका मंत्री पद खत्म हो जाता है।
- मंत्री इस दौरान दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान दोनों में किसी सदन में नहीं कर सकता।

शपथ क्या है?

- संविधान के तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का वर्णन है जिसमें लिखा है:-

मैं,.....

नाम.....

ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं.....

(i) विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी।

(ii) मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा/रखूँगी।

(iii) मैं जिस कर्तव्य को ग्रहण करने वाला हूं उसकी निष्ठा पूर्वक निर्वहन करुंगा।

शपथ का बदलता स्वरूप -

- बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने शपथ में ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं किया था।
- समिति ने लिखा था कि व्यक्ति पूरी ईमानदारी एवं सत्य निष्ठा से संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं आस्था रखने का शपथ लेगा।
- चर्चा के दौरान के टी शाह एवं महावीर त्यागी ने ईश्वर शब्द जोड़ने के लिए प्रस्ताव पेश किया।
- दोनों ने प्रस्ताव में कहा कि हम शपथ में ईश्वर को नहीं छोड़ सकते जिन्हें ईश्वर पर भरोसा होगा वह ईश्वर की शपथ लेंगे और जो नास्तिक होंगे उन्हें गंभीरता से शपथ लेने की स्वतंत्रता होगी।
- अंबेडकर ने संशोधन प्रस्ताव को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि कुछ लोगों के लिए ईश्वर ब्रह्मांड एवं उनके व्यक्तिगत जीवन की शासन शक्ति है ऐसे में वह अगर ईश्वर की शपथ लेंगे तो वे नैतिक रूप से अपने दायित्व का ज्यादा गंभीरता से पालन करेंगे।

Result Mitra

- शपथ में अंतिम परिवर्तन राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर 16 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से किया गया जिससे शपथ में "भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने वाला" अंश जोड़ा गया।

कैसे लिया जाता है शपथ -

- शपथ प्रतिज्ञान लेने से पूर्व सांसदों को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लोकसभा के कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होता है।
- यह प्रक्रिया 1957 के घटना के बाद जोड़ा गया जब मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ने सांसद के रूप में सदन में शपथ ले ली थी।
- निर्वाचन प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद सांसद अंग्रेजी सहित आठवीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी में भी शपथ ले सकते हैं।
- सामान्यतः आधे से ज्यादा सांसद हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेते हैं।
- 2019 में 44 सांसदों ने जबकि 2014 में 39 सांसदों ने संस्कृत में शपथ ली थी।
- शपथ के दौरान सांसदों को निर्वाचन प्रमाण पत्र में लिखे गए नाम का ही प्रयोग करना होता है।
- 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (बीजेपी के लोकसभा सांसद) नए शपथ के दौरान अपने नाम में प्रत्यय जोड़ा था जिस पर पीठासीन अधिकारी ने फैसला सुनाया कि प्रमाण पत्र में वर्णित नाम ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
- 2024 में जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल ने इंकलाब जिंदाबाद के साथ शपथ को समाप्त किया तो उन्हें फिर से शपथ लेने को कहा गया।

शपथ vs प्रतिज्ञान -

- 2019 लोकसभा में 87% सांसदों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी जबकि 13% ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की प्राप्त की।
- वहीं यह अनुपात 2009 में क्रमशः 84% एवं 16% जबकि 2014 में 93% और 7% था।

हिंदी vs अंग्रेजी -

- 2004 में हिंदी में 220 लोकसभा सांसदों ने, 2009 में 234 सांसदों ने, 2014 में 212 सांसदों ने तथा 2019 में 212 सांसदों ने शपथ प्रतिज्ञान लिया।

ResultMitra

- अंग्रेजी में 2004 में 60, 2009 में 100, 2014 में 115 एवं 2019 में 54 सांसदों (लोकसभा) ने शपथ/प्रतिज्ञान लिया।
- अन्य प्रमुख भाषाओं में मराठी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली और उड़िया रहा।

जेल में बंद सांसद और शपथ -

- संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई सांसद सदन में लगातार 60 दिन उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है।
- इसी आधार पर न्यायालयों ने जेल में बंद सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी है।
- जून 2019 में घोसी (UP) लोकसभा सांसद गंभीर अपराधिक आरोपों में जेल गए थे, जिन्हें न्यायालय ने जनवरी 2020 में शपथ लेने की अनुमति दी।

Result Mitra